REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 12 | ISSUE - 10 | JULY - 2023

कोरबा जिले के तेन्दूपत्ता संग्राहकों की ऋण–ग्रस्तता का अध्ययन

डॉ. पूजा पाण्डेय[1] , डॉ. विवेक मधुकर दाण्डेकर[2] , मनहरण अनंत[3]
[1]सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (वाणिज्य एवं वित्तीय अध्ययन विभाग), विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर छ.ग.
[2]सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य), वाणिज्य विभाग, शासकीय एम.एम.आर. महाविद्यालय चॉपा, जिला– जॉजगीर–चॉपा छ.ग.
[3]सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य), वाणिज्य विभाग, शासकीय नवीन महाविद्यालय जटगा, जिला– कोरबा छ.ग.

शोध सार :–

बैंकिग सुविधाओं के विस्तार के बावजूद, भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था असंगठित क्षेत्र के चंगुल में फंसा हुआ है। इनमें साहूकार, जमींदार, दुकानदार, रिस्तेदार व दोस्त आदि आते है, जो तात्कालीन आवश्यकता के समय अत्यधिक ब्याज दरों पर ऋण देते हैं। ज्यादातर ग्रामीण कृषक अपनी छोटी–छोटी आवश्यकताओं के लिये इन सूदखोरों से ऊंचे दरों पर जो सामान्यतः 36 प्रतिशत से अधिक होते हैं, पर ऋण लेने के लिये मजबूर होते है, ये सूदखोर ऊंचे ब्याज दरों पर ऋण देने बावजूद ऋण वापसी के स्थान पर बंधक में रखी गयी सम्पत्तियों को हड़पने पर ध्यान केन्द्रित किये रहते है। प्रस्तुत शोध पत्र में छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के 838 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों खासकर वनों के आस–पास निवास करते हैं एवं तेन्दूपत्ता संग्रहण का कार्य करते है, जो उन्हे अल्पकालीन रोजगार प्रदान करता है। इस आलेख के माध्यम से हम वन क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के ऋण–ग्रस्तता, प्रचलित ब्याज की दरों एवं ऋण–ग्रस्तता का समाधान के बारे में जान पायेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी छोटी–छोटी जरूरतों, कृषि कार्यों एवं सामाजिक संस्कारों के लिये भी ऋण–ग्रस्तता के शिकार हो जाते है। यद्यपि बैंकिग सुविधा के विस्तार एवं सूचना क्रांति के कारण इन क्षेत्रों में जागरूकता आई है, तथापि ये सुधार पर्याप्त नहीं है। इसके लिये राजनीतिक, प्रशासनिक एवं सामाजिक दृढ़निश्चय की आवश्यकता है।

की वर्ड्स :– ऋण–ग्रस्तता, ब्याज की दर, वनोत्पाद, तेन्दूपत्ता, कोरबा, छत्तीसगढ़।

प्रस्तावना–

छत्तीसगढ राज्य में पूरे भारत वर्ष का उत्कृष्ट तेन्दूपत्ता उपलब्ध है। कोरबा के सामाजिक और वित्तीय संरचना में वनों की

छत्तीसगढ़ में कोरबा जिला की स्थिति, स्रोत– विकीपीडिया

महत्वपूर्ण भूमिका है। प्राकृतिक एवं खनिज संसाधनों से भरपूर कोरबा वृहद रूप से मुख्यतः पूर्वी बघेलखण्ड का पठार क्षेत्र के हसदो–रामपुर एवं कोरबा बेसिन के अंतर्गत आता है, जो अपने मातृ जिले बिलासपुर से 1998 में पृथक होकर अन्य 8 जिलों के साथ नवीन जिला के रूप में अस्तित्व में आया, अपितु अब भी यह बिलासपुर संभाग का ही एक हिस्सा है। जिले में पायी जाने वाली अति पिछड़ी जनजाति कोरवा के काम से जिले का नाम कोरबा पड़ा। जिले के उत्तर में उदयपुर की पहाड़ी, पश्चिम में पेण्ड्रा–लोरमी का पठार, मध्य में छुरी की पहाड़ियॉ व पूर्वी क्षेत्र में रामपुर का पठार स्थित है। जिले की सबसे ऊंची चोटी **'लाफागढ़ चोटी'** है जिसकी सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई 1048 मीटर है। हसदो नदी जो कोरिया जिले की देवगढ़ पहाड़ी से निकलती है जिले की **'जीवन रेखा'** है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होकर शिवरीनारायण के पास महानदी में मिल जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर मध्य में स्थित यह जिला पूर्णतः भू आवेष्ठित जिला है, जिसकी सीमाएँ 07 अन्य जिलों से लगी हुई है; ये जिले है– उत्तर में कोरिया व सूरजपुर, उत्तर–पूर्व में सरगुजा, पूर्व में रायगढ़, दक्षिण में जॉजगीर–चॉपा, दक्षिण–पश्चिम में बिलासपुर व पश्चिम में गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही जिला स्थित है। जिले की भौगोलिक विस्तार 22°01'0'' उत्तरी अक्षांश से 23°01'0'' उत्तरी अक्षांश एवं 82°07'0'' पूर्वी देशांतर से 83°07'0'' पूर्वी देशांतर तक है। जिले का कुल क्षेत्रफल 7145.44 वर्ग किलोमीटर है जो छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्र का 5.29 प्रतिशत है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर जिले की कुल जनसंख्या 1206640 है, जो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 4.72 प्रतिशत है, जिसमें 612915 पुरूष व 593725 महिलाएँ शामिल हैं।

जिले में कोयला का भंडार होने के कारण ताप विद्युत गृह का केन्द्रीकरण है, अन्य प्रमुख खनिजों में बाक्साइड, चुना पत्थर प्रमुख है। जिले जलवायु गर्म एवं शुष्क है यहॉ का औसत तापमान 30.5 डिग्री सेल्सीयस है, न्यूनतम तापमान 7.8^{c} डिग्री सेल्सीयस माह जनवरी में व अधिकतम 39.4^{c} डिग्री सेल्सीयस माह मई में होता है। कोरबा जिला मध्यम वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहॉ लगभग 90 प्रतिशत वर्षा माह जून से सितम्बर तक में दक्षिण–पूर्व मानसून के द्वारा होता है, यहॉ औसत वार्षिक वर्षा 1273.4 मिलीमीटर होता है, सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा कोरबा तहसील में 1342.2 मिलीमीटर व सबसे कम पोड़ी–उपरोड़ा में 1167.7 मिलीमीटर होता है। यह जिला मुख्यतः हसदो नही अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है, जिसकी सहायक नदियॉ अहिरन, तान, केन्दई आदि है। कोरबा जिले के अंतर्गत दो वन मंडल कोरबा व कटघोरा है, जिसमें 4187.375 वन क्षेत्र अवस्थित है। सांस्कृतिक विविधता लिये इस आदिवासी बाहुल्य जिले में करमा, सुआ, पंथी, राउत नाचा आदि लोकविधा प्रचलित है। पर्यटन केन्द्र के रूप में ऐतिहासिक विरासत के प्रतीक छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ में से 4 गढ़– लाफागढ़, छुरी–कोसगई, मातिन व गढ–उपरोड़ा जिले मे अवस्थित है। प्राकृतिक पर्यटन केन्द्र में केन्दई जलप्रपात, देवपहरी, लेमरू, सतरेंगा, बुका आदि प्रमुख है। यातायात की दृष्टि से कोरबा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, जहॉ से राज्य व देश की प्रमुख शहरों के लिये रेल यातायात की सुविधा है, जिले से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 130 गुजरती है।

कोरबा जिले के अंतर्गत दोनों वनमंडलों कोरबा एवं कटघोरा के अंतर्गत कुल मिलाकर कुल 05 विकासखण्ड है, जिसमें कोरबा वन मंडल के अंतर्गत 02 विकासखण्ड कोरबा एवं करतला है, वहीं कटघोरा वन मंडल के अंतर्गत 03 विकास विकासखण्ड, कटघोरा, पाली एवं पोड़ी–उपरोड़ा है। कोरबा मंडल के अंतर्गत 06 वन परिक्षेत्र आते हैं, जिसमें लेमरू, बालको, कोरबा, परसखेत, कुदमुरा एवं करतला शामिल है, कटघोरा वनमंडल के अंतर्गत 07 वन परिक्षेत्र आते हैं, जिसमें पसान, जटगा, केन्दई, एतमानगर, कटघोरा, चैतमा व पाली शामिल है। कोरबा विकासखण्ड में 23, करतला में 15 कटघोरा में 11, पोड़ी उपरोड़ा में 18 व पाली में 15, इस प्रकार कुल 82 प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति कार्यरत है, जिसके माध्यम से तेन्दूपत्ता का संग्रहण किया जाता है। उपरोक्त अध्ययन के लिये जिले के दोनों वन मंडलों से कुल 838 तेन्दूपत्ता संग्राहकों का चयन किया गया, जो कुल संग्राहकों का लगभग एक प्रतिशत है। कोरबा जिले के वन आश्रित क्षेत्रों के अधिकांश लोग कृषि एवं मजदूरी जैसे असंगठित क्षेत्र के कार्यों में संलंग्न है, जो शिक्षा एवं जागरूकता के अभाव में कृषि, सामाजिक संस्कारों एवं दवाईयों व ईलाज जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये भी अधिक ब्याज दरों में ऋण लेकर ऋणग्रस्तता के जाल में फंसे हुए हैं। हालांकि सूचना क्रांति के आने से जागरूकता में वृद्धि दर्ज किया गया है, किंतु यह पर्याप्त नही है।

साहित्य का अवलोकन :–

ग्रामीण अर्थव्यवस्था, आय–संरचना, ऋण–ग्रस्तता, वन आश्रितों व आदिवासियों के आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों में किये गये कुछ प्रतिनिधि अध्ययन इसप्रकार है :–

भारत में सीमांत किसानों की संख्या सर्वाधिक है, उनमें से अधिकांश कृषि उपेक्षा, अर्पाप्त निवेश एवं ऋणग्रस्तता के शिकार है। अधिकांश कृषक इन कार्यों में केवल इसलिये लगे हुए हैं, क्योंकि उनके पास रोजगार के वैकल्पिक साधन का अभाव है। (Path, B. V. 2008). कृषि ऋण–ग्रस्तता मूलतः एक चक्रीय प्रणाली है। इसके ऊपरी सुधारों से काम नही चलने वाला है, स्थायी समाधान के संपूर्ण प्रणाली को समझना होगा एवं राजनीतिक व आर्थिक समाधान ही इस पर अधिक प्रभावी होगा। (Pani, N. 1987). तमाम बैंकिंग सुधारों के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में ब्याज की अत्यधिक दरों का प्रचलन है, जिन पर ग्रामीण क्षेत्रों के अभिजात्य वर्गों का कब्जा है। ये वर्ग अत्यधिक ब्याज के दर के बावजूद, ऋण की वापसी के स्थान पर उसके डिफाल्ट होने को प्राथमिकता देते है, इससे भुगतान में चूक होने पर वे बंधक में रखी गयी सम्पत्तियों को हड़पने की कार्यवाही करते हैं। (Shah, M., Rao, R., & Shankar, P. V. 2007). संगठित मुद्रा बाजारों की तुलना में अब भी असंगठित मुद्रा बाजारों का वर्चस्व बरकरार है। इनमें साहूकार, जमींदार, दुकानदार, रिस्तेदार व दोस्त आदि आते है, जो तात्कालीन आवश्यकता के समय अत्यधिक ब्याज दरों पर ऋण देते हैं। ये ब्याज की दरें सामान्यतः 36 प्रतिशत से अधिक होते है, इन्हे सीमित कर 24 प्रतिशत तक करने की आवश्यकता है। (Wai, U. T. 1957). दीर्घकाल में आय के विभिन्न स्तरों में आय एवं बचत के अनुपात में परिवर्तन होता है, जबकि अंशकाल में यह परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं होता है। उपभोग की प्रवृत्ति और नये निवेश की दर उनके बीच रोजगार की मात्रा का निर्धारण करती है। (Hansen, A. H.) समय–समय पर हुए अध्ययन के आधार पर भारत में कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों बचत व्यवहार एवं ढ़ांचों में काफी परिवर्तन हुए हैं। भारत के बचत दरों में 70 के दशक के बाद लगातार वृद्धि दर्ज किया गया है। कृषि क्षेत्र में बढ़ती हुई बचत की दर विकास को बढ़ावा दे रही है, यह अंततः निवेश की ढांचा पर निर्भर करता है। मंहगाई की उच्च दर बचत आदतों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। (Krishnamurty, K., & Saibaba, P.).

शोध प्रविधि :–

तेन्दूपत्ता संग्राहकों की ऋण संबंधी आदतों, ब्याज की दर, ऋण का स्रोत एवं उद्देश्य, को जानने के लिये प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों समंकों का उपयोग किया गया है; प्राथमिक समंक के अंतर्गत कोरबा जिले के दोनों वनमंडल कोरबा व कटघोरा के अंतर्गत आने वाले 5 विकासखंडों के 838 तेन्दूपत्ता संग्राहकों से प्रश्नावली, साक्षात्कार एवं अवलोकन के माध्यम से आंकड़े जुटाये गये हैं। इसी प्रकार द्वितीयक समंक के लिये छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित के 2015 से 2021 तक के वार्षिक आमसभा प्रतिवेदन, जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, कटघोरा व कोरबा के 2015 से 2021 तक के वार्षिक प्रतिवेदन का सहारा लिया गया है। 2020–21 के जिला सांख्यिकी पुस्तिका, कोरबा के साथ संदर्भ सूची में उल्लेखित शोध–पत्रों, आलेखों, पुस्तिका का भी यथा स्थान पर प्रयोग किया गया है। उपरोक्त प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के लिये सांख्यिकी माध्य एवं प्रतिशत के साथ आंकड़ों के सरल प्रस्तुतिकरण के लिये पाई चार्ट व ग्राफ का यथा स्थान प्रयोग किया गया है। आंकड़ों के संग्रहण के लिये 2015 से 2020 तक कोरबा जिले के दोनो वन मंडलों के अंतर्गत आने वाले 82 प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के सदस्यों में से यादृच्छिक आधार पर चयन किया गया, अन्य जिलों व समयावधि में उच्चावचन की संभावना है।

शोध परिकल्पना :–

H_{01} कोरबा जिले के तेन्दूपत्ता संग्राहक ऋणग्रस्तता के शिकार हैं।
H_{02} कोरबा जिले के तेन्दूपत्ता संग्राहक सूदखोरों के ऋण के कुचक्र में फंसे हुए हैं।
H_{03} कोरबा जिले के तेन्दूपत्ता संग्राहक लिये गये ऋण के लिये अत्यधिक दर से ब्याज चुकाते हैं।

विश्लेषण :–

कोरबा जिले के अंतर्गत तेन्दूपत्ता संग्राहकों की आय–संरचना, ऋण संबंधी आदतें, उद्देश्य, ऋण–ग्रस्तता, ब्याज की दर आदि का विश्लेषणात्मक अध्ययन क्रमानुसार इसप्रकार है–

तेन्दूपत्ता संग्रहण के अतिरिक्त परिवार का अन्य कार्य/व्यवसाय–

तेन्दूपत्ता संग्राहकों को केवल मौसमी रोजगार ही देता है, इसके अतिरिक्त तेन्दूपत्ता संग्राहक विभिन्न कार्यों में लगे हुए है। ज्यादातर संग्राहक कृषि या उनसे जुड़े असंगठित क्षेत्र के कार्यों में संलग्न है। 72.6 प्रतिशत तेन्दूपत्ता संग्राहक इन कार्यों के अतिरिक्त कृषि करते है, 16 प्रतिशत संग्राहक मजदूरी, मात्र 0.10 प्रतिशत संग्राहक नौकरी, 0.7 प्रतिशत संग्राहक छोटे व्यवसाय, 0.2 प्रतिशत संग्राहक अन्य कार्यों में संलग्न है। 10.4 प्रतिशत संग्राहक एक से अधिक कार्य एवं व्यवसाय करते है, इनमें 8.80 प्रतिशत कृषि के साथ मजदूरी, 0.20 प्रतिशत कृषि के साथ अन्य, 1.20 प्रतिशत संग्राहक कृषि के साथ मजदूरी एवं छोटे व्यवसाय भी करते हैं, मात्र 0.2 प्रतिशत संग्राहक मजदूरी के साथ नौकरी भी करते है। उक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि 97.50 प्रतिशत संग्राहक कृषि एवं मजदूरी कार्यों में संलंग्न हैं।

ग्राफ क्रमांक : 1

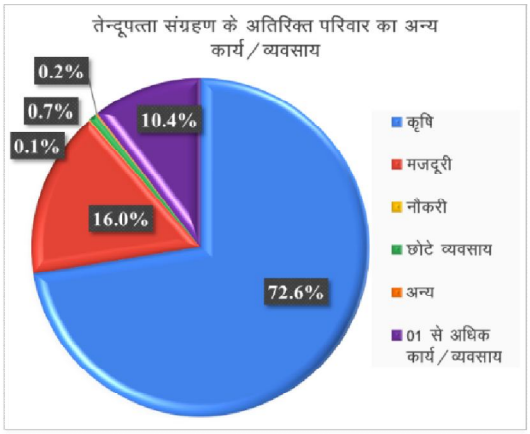

संग्राहकों द्वारा लिये गये ऋण की जानकारी–

संग्रहित आंकड़ों के आधार पर 68.4 प्रतिशत तेन्दूपत्ता संग्राहकों का कहना है कि उन्होने कहीं न कहीं से ऋण लिया है एवं 31.6 प्रतिशत संग्राहकों ने कहीं से भी ऋण नही लिया है। इस जानकारी को जुटाने का उद्देश्य संग्राहकों की ऋणग्रस्तता के बारे में जानकारी प्राप्त करना है।

ग्राफ क्रमांक : 2

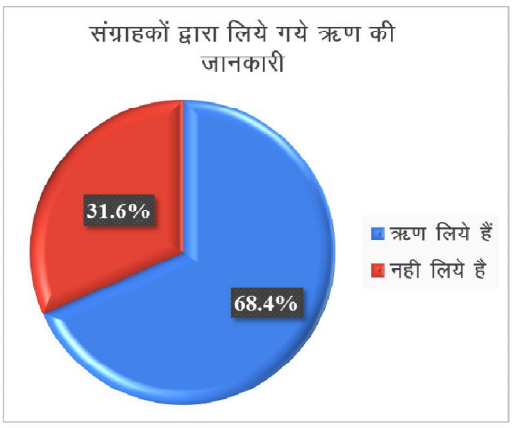

ऋण का स्रोत –

ग्राफ क्रमांक 2 के अनुसार ऐसे संग्राहक जो कहीं न कही से ऋण लिये हैं, उनमें से 33.2 प्रतिशत तेन्दूपत्ता संग्राहक बैंकों से ऋण लिये हैं, 4.9 प्रतिशत तेन्दूपत्ता संग्राहक अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण लिये हैं, 11.3 प्रतिशत संग्राहक साहूकारों से ऋण लिये हैं, सर्वाधिक 41.7 प्रतिशत संग्राहक रिस्तेदारों या पड़ोसियों से से ऋण लिये हैं एवं 8.9 प्रतिशत तेन्दूपत्ता संग्राहक स्व–सहायता समूहों से ऋण लिये हैं।

ग्राफ क्रमांक : 3

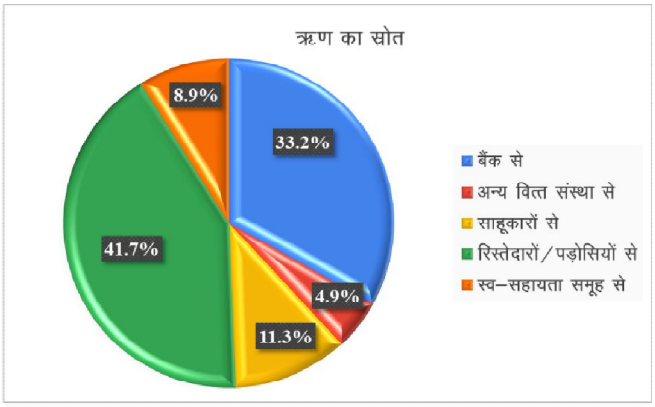

ऋण लेने का उद्देश्य–

ग्राफ क्रमांक 3 के अनुसार ऐसे संग्राहक जो कहीं न कही से ऋण लिये हैं, उनमें से 40.7 प्रतिशत तेन्दूपत्ता संग्राहक कृषि कार्यों के लिये ऋण लिये हैं (ग्राफ क्रमांक 3), 11.2 प्रतिशत तेन्दूपत्ता संग्राहक दवाई या ईलाज के लिये, 12.4 प्रतिशत तेन्दूपत्ता संग्राहक शिक्षा के लिये, 0.30 प्रतिशत तेन्दूपत्ता संग्राहक मनोरंजन के लिये, 6.3 प्रतिशत तेन्दूपत्ता संग्राहक व्यवसाय के लिये, 5.6 प्रतिशत तेन्दूपत्ता संग्राहक मकान बनाने के लिये, 14 प्रतिशत तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक संस्कारों के लिये एवं 9.6 प्रतिशत तेन्दूपत्ता संग्राहक अन्य उद्देश्यों के लिये ऋण लिये हैं।

ग्राफ क्रमांक : 4

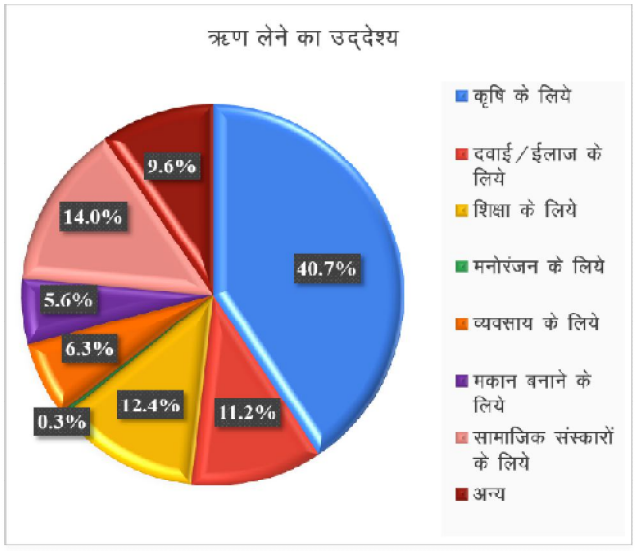

प्रतिमाह देय ब्याज की दर –

ग्राफ क्रमांक 2 के अनुसार ऐसे संग्राहक जो कहीं न कही से विभिन्न उद्देश्यों के लिए ऋण लिये हैं, उनमें से 27.1 प्रतिशत तेन्दूपत्ता संग्राहक 1 प्रतिशत तक के मासिक ब्याज की दर पर ऋण लिये हैं, (ग्राफ

क्रमांक 5), 30.4 प्रतिशत तेन्दूपत्ता संग्राहक 1 से 2 प्रतिशत मासिक ब्याज की दर पर ऋण लिये हैं, 14.5 प्रतिशत तेन्दूपत्ता संग्राहक 2 से 3 प्रतिशत मासिक ब्याज की दर पर ऋण लिये हैं, 7.9 प्रतिशत तेन्दूपत्ता संग्राहक 3 से 4 प्रतिशत मासिक ब्याज की दर पर ऋण लिये हैं, 12 प्रतिशत तेन्दूपत्ता संग्राहक 4 से 5 प्रतिशत मासिक ब्याज की दर पर ऋण लिये हैं एवं 8.2 प्रतिशत तेन्दूपत्ता संग्राहक 5 प्रतिशत से अधिक मासिक ब्याज की दर पर ऋण लिये हैं।

ग्राफ क्रमांक : 5

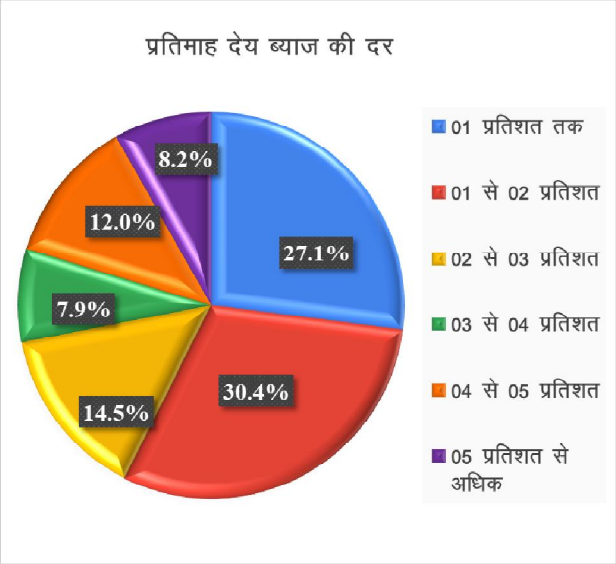

निष्कर्ष व सुझाव :–

तेन्दूपत्ता संग्रहण के माध्यम से वनों के आस–पास रहने वाले लोगों को केवल मौसमी रोजगार की प्राप्ति होती है, जो सामान्यतः दो से तीन सप्ताह का होता है। इसके अतिरिक्त तेन्दूपत्ता संग्राहक विभिन्न कार्यों में लगे हुए है, ज्यादातर संग्राहक कृषि, मजदूरी या उनसे जुड़े असंगठित क्षेत्र के कार्यों में संलग्न है। कोरबा जिले के 97.50 प्रतिशत संग्राहक कृषि एवं मजदूरी जैसे असंगठित क्षेत्र के कार्यों में संलंग्न हैं। जिले के 68.4 प्रतिशत तेन्दूपत्ता ऋणग्रस्तता के जाल में फंसे हुए हैं। ऋण लेने वालों में से 33.2 प्रतिशत तेन्दूपत्ता संग्राहक बैंकों से ऋण लिये हैं, 4.9 प्रतिशत तेन्दूपत्ता संग्राहक अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण लिये हैं, 11.3 प्रतिशत संग्राहक साहूकारों से ऋण लिये हैं, सर्वाधिक 41.7 प्रतिशत संग्राहक रिस्तेदारों या पड़ोसियों से ऋण लिये हैं एवं 8.9 प्रतिशत तेन्दूपत्ता संग्राहक स्व–सहायता समूहों से ऋण लिये हैं। ऐसे संग्राहक जो कहीं न कही से ऋण लिये हैं, उनमें से 40.7 प्रतिशत तेन्दूपत्ता संग्राहक कृषि कार्यों के लिये ऋण लिये हैं, 11.2 प्रतिशत तेन्दूपत्ता संग्राहक दवाई या ईलाज के लिये, 12.4 प्रतिशत तेन्दूपत्ता संग्राहक शिक्षा के लिये ऋण लिये हैं, 14 प्रतिशत तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक संस्कारों के लिये ऋण लिये हैं। विभिन्न उद्देश्यों के लिए ऋणों में से 42.6 प्रतिशत तेन्दूपत्ता संग्राहक 24 प्रतिशत वार्षिक या उससे अधिक दरों पर ऋण लिये हैं, इसमें भी 20.2 प्रतिशत संग्राहक 48 प्रतिशत या उससे अधिक वार्षिक ब्याज दरों पर ऋण लिये हुए हैं।

परिकल्पना परीक्षण :–

चार्ट क्रमांक 2 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि 68.4 प्रतिशत तेन्दूपत्ता संग्राहक विभिन्न उद्देश्यों से ऋण लिये है, अर्थात वे ऋणग्रस्त है, अतः यह परिकल्पना सही स्थापित होता है कि ''कोरबा जिले के तेन्दूपत्ता संग्राहक ऋण–ग्रस्तता के शिकार हैं'', इसप्रकार उपरोक्त शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाती है। इसी प्रकार ग्राफ क्रमांक 3 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि मात्र 11.3 प्रतिशत तेन्दूपत्ता संग्राहक ही सूदखोरों से लिये गये ऋण के जाल में फंसे हुए है, जबकि 88.7 प्रतिशत संग्राहक अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्त किये हैं, अतः यह परिकल्पना गलत स्थापित होता है कि ''कोरबा जिले के तेन्दूपत्ता संग्राहक सूदखोरों के ऋण के कुचक्र में फंसे हुए हैं'', इस प्रकार शून्य परिकल्पना के स्थान पर अन्य परिकल्पना स्वीकार की जाती है। ग्राफ क्रमांक 5 के

विश्लेषण से स्पष्ट है कि 42.6 प्रतिशत तेन्दूपत्ता संग्राहक 24 प्रतिशत या उससे अधिक दरों पर ऋण लिये हुए हैं, अतः यह परिकल्पना सही स्थापित होता है कि ''कोरबा जिले के तेन्दूपत्ता संग्राहक लिये गये ऋण के लिये अत्यधिक दर से ब्याज चुकाते हैं'', इसप्रकार उपरोक्त शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाती है।

वन आश्रित लोगों को ऋण–ग्रस्तता से उबारने के लिये निम्नलिखित सुझाव की अनुशंसा की जाती है–

1. वर्षों से ऋण–ग्रस्त परिवारों के कल्याण के लिये एकमुस्त ऋण निपटान या राहत सुविधा शुरू करना चाहिए।
2. इन क्षेत्रों में बैंकिग सुविधाओं का अभाव है, जिसके कारण वे ऊंचे ब्याज दरों में ऋण लेने के लिये मजबूर होते हैं, अतः इसका विस्तार किया जाना चाहिए ताकि उन्हें कम ब्याज दरों पर आवश्यक कोष की आपूर्ति किया जा सके।
3. जब ग्रामीण व वन आश्रित क्षेत्रों में अन्य आर्थिक गतिविधियॉ बंद हो, ऐसे समय में वैकल्पिक रोजगार मूलक कार्य चलाना चाहिए। महात्मा गांधी ग्रामीण राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जैसी योजना का विस्तार करना चाहिए व इसका बजट भी बढ़ाना चाहिए। इसमें वृक्षारोपण, जल संरक्षण, जैव विविधता, खाद्य प्रसंस्करण, वनौषधियों का संरक्षण, उत्पादन व विपणन जैसे कार्यों को शामिल किया जा सकता है।
4. ऋण योजनाओं का सरलीकरण किये जाने की आवश्यकता है, ताकि युवा वर्ग स्वरोजगार के लिये प्रोत्साहित हो सके, इसके कारण आय बढ़ने से क्रय क्षमता में वृद्धि होगी।
5. ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक साख सहकारी समितियों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इसके लिये नये शाखाओं का निर्माण, ऋण नियमों का सरलीकरण एवं पारदर्शिता को बढावा देना शामिल है।
6. जिस अनुपात में कृषि आगतों का मूल्य बढ़ा है, उस अनुपात में कृषि उत्पादों का मूल्य नही बढ़ता है, यदि बढ़ता भी है तो इसका लाभ उत्पादक वर्ग को नही मिल पाता है। अतः कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि कर, विपणन सहकारिता के माध्यम से किया जाना चाहिए।
7. सूदखोरी को जड़ से समाप्त करने के लिये प्रभावी कानून लाकर राजनीतिक, प्रशासनिक एवं सामाजिक ईच्छाशक्ति के साथ क्रियान्वित करने की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची–

1. Pani, N. (1987). Indebtedness and the Theory of Agrarian Reform. Social Scientist, 51-67.
2. Wai, U. T. (1957). Interest rates outside the organized money markets of underdeveloped countries. Staff Papers-International Monetary Fund, 6(1), 80-142.
3. Shah, M., Rao, R., & Shankar, P. V. (2007). Rural credit in 20th century India: Overview of history and perspectives. Economic and Political Weekly, 1351-1364.
4. Path, B. V. (2008). Agricultural indebtedness: Crisis and revival. Economic and Political Weekly, 47-52.
5. Anant Manharan, Pandey Pooja, Dandekar V.M., (2023), Study of Income-Expenditure Structure, Savings and Investment Habits of Tendu leaf Pluckers: with special reference to Korba District of Chhattisgarh State, Industrial Engineering Journal ISSN: 0970-2555 Volume: 52, Issue 4, April 2023
6. Census 2011
7. Hansen, A. H. (1948). A Note on Savings and Investment. The Review of Economics and Statistics, 30-33.
8. India State of Forest Report, 2021, https://fsi.nic.in/
9. Krishnamurty, K., & Saibaba, P. (1981). Determinants of Saving Rate in India. Indian Economic Review, 16(4), 225-249.
10. Weisskopf, T. E. (2017). What Kinds of Economic Inequality Really Matter?. Perspectives on Economic Development and Policy in India: In Honour of Suresh D. Tendulkar, 83-103.
11. https://www.wikipedia.org/
12. अनंत मनहरण, (2022), छत्तीसगढ़ राज्य में तेन्दूपत्ता संग्राहकों के लिये लागू की गयी प्रमुख योजनाओं का मूल्यांकन, Review of Research ISSN: 2249-894X, volume – 11,issue – 6,march], page 10

13. अनंत मनहरण, (2022), ''तेन्दूपत्ता संग्राहकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययनः छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के विशेष संदर्भ में'', IDEAL, ISSN: 2319-359X volume -11,Issue -1, September-February–2022-23, page 91-99
14. छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ, वार्षिक प्रतिवेदन 2014 से 2020–21
15. जिला सांख्यिकी पुस्तिका, जिला– कोरबा 2014–15 से 2020–21
16. जिला वनोपज सहकारी यूनियन कोरबा व कटघोरा का वार्षिक प्रतिवेदन 2014–15 से 2020–21
17. जनसंपर्क विभाग रायपुर, छत्तीसगढ़ शासन (2023), महत्वपूर्ण योजनाओं की विभागवार जानकारी, पृष्ठ 1–183
18. छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020–21 एवं 2021–22
19. त्रिपाठी संजय एवं त्रिपाठी चंदन, (2020) ''छत्तीसगढ़ वृहद संदर्भ'', उपकार प्रकाशन, आगरा